



2026:AHC:180690

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30348 / 2026

गौरव

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आदित्य कुमार, आयुष मिश्रा

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य कुमार और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. श्री विजय बहादुर मौर्य को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 239/2026 अंतर्गत धारा 103(1), 351(3), 352 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - नोएडा सेक्टर 39, जिला - गौतम बुद्ध नगर, अवर न्यायालय में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक वर्तमान मामले में एकमात्र अभियुक्त है और आरोप के अनुसार उसने मृतक को चोट पहुँचाकर उसकी हत्या की है, किन्तु आवेदक निर्दोष है और उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक की चिकित्सा रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे एक चाकू का घाव लगा था और विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए मृतक के बयान से भी पता चलता है कि आवेदक ने उसे चाकू से घायल किया था, किन्तु डॉक्टर के बयान से यह भी पता

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चलता है कि घटना के समय मृतक नशे में था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक के अनुसार भी उसने गुस्से में पानी का पाइप तोड़ दिया था, जिससे पता चलता है कि घटना के दौरान उसे चोट लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि मृतक का आवेदक से विवाद था और आवेदक उसी इमारत में रहता था, इसलिए उसने विवेचना अधिकारी के सामने अपने बयान में कहा कि आवेदक ने उसे चाकू से घायल किया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मृतक की मृत्यु सेप्टीसीमिया के कारण हुई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा था।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन कर सके।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 26.5.2026 से जेल/कारागार में है।

7. उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक एकमात्र अभियुक्त है और मृतक के बयान से, जिसे हालांकि विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, यह स्पष्ट है कि आवेदक ने उसे चाकू से घायल किया था।

9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक की प्रारंभिक चिकित्सा रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे चाकू से एक ही घाव लगा था, इसलिए विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया मृतक का मृत्यु पूर्व बयान भी मृतक की चिकित्सा रिपोर्ट से समर्थित है।

10. उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए और इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

11. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. आवेदक इन मामलों में एकमात्र अभियुक्त है और अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने चाकू से चोट पहुंचाकर मृतक की हत्या की।
13. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि प्रारंभ में वर्तमान मामले की एफआईआर 25.5.2026 को धारा 351(3), 352, 115(2) बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, किन्तु एक हफ्ते बाद जब घायल की मृत्यु हो गई तो मामले को धारा 103 (1) बीएनएस के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया।
14. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि मृतक-वसीम की मृत्यु से पहले, विवेचना अधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 180 के अंतर्गत उसका बयान दर्ज किया था, जिसे इस जमानत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है और इसके अवलोकन से यह पता चलता है कि मृतक के अनुसार भी आवेदक ने उसे चाकू से घायल किया था।
15. मृतक की मृत्यु से पूर्व विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया बयान उसका मृत्यु पूर्व बयान है और इस बयान को प्रथम दृष्टया देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष है।
16. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु सेप्टीसीमिया के कारण हुई थी, किन्तु मृतक के बयान के आलोक में, जो धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज किया गया है, मात्र इसी आधार पर आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक पिछले तीन माह से ही जेल/कारागार में है।
17. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक इस स्तर पर जमानत पर रिहा होने का पात्र नहीं है।
18. अतः, **इस स्तर पर** वर्तमान जमानत आवेदन **अस्वीकृत** की जाती है।
19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 31, 2026

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।